

लोकरीति, लोकाचार व प्रथाएं

लोकरीति

लोकरीति का शाब्दिक अर्थ होता है, आम लोगों के रीति-रिवाज। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत तरह के नियमों का निर्माण या आविष्कार करता रहा है, लेकिन नियमों का विकास भौगोलिक एवं आर्थिक-सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में ही होता है, इसीलिए हर समाज की अलग-अलग लोकरीतियां होती हैं।

समनर ने बताया है कि लोकरीतियों का तात्पर्य व्यवहार के उन अपेक्षित एवं संचित तरीकों से है जो एक विशेष परिस्थिति में सामाजिक क्रियाओं की आवश्यकता को पूरा करने के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि लोकरीतियों की उत्पत्ति विचारपूर्ण ढंग से होती है तथा समस्त सामाजिक समूह उसे स्वीकार करता है। समाज प्रत्येक व्यक्ति से यह आशा रखता है कि किस परिस्थिति में उसे किस ढंग से व्यवहार करना चाहिए। व्यवहारों की अपेक्षा हर समाज में अलग-अलग प्रकार की होती है। इसीलिए प्रत्येक समाज की अपनी-अपनी लोकरीतियां होती हैं। किसी व्यक्ति को किस प्रकार बैठकर भोजन करना चाहिए, किसी से मिलने पर किस ढंग से अभिनंदन करना चाहिए, विदाई के समय कैसा व्यवहार करना है, किस अवसर पर किस प्रकार का वस्त्र पहनना है, महिलाओं के साथ पुरुषों का व्यवहार कैसा होगा, बच्चे बड़ों के साथ किस प्रकार बातचीत करेंगे, इस प्रकार के हजारों अपेक्षित व्यवहारों को लोकरीति कहा जाता है।

लोकरीति समाज की सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे को बनाए रखने में मदद करता है। इसके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं को सहजतापूर्वक पूरा करते हैं। लोकरीति के माध्यम से समाज और संस्कृति का स्वरूप स्पष्ट होता है। आचरण में सहजता व्यक्तियों को किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका ज्ञान लोकरीति के माध्यम से होता है। इतना ही नहीं, लोगों को लोकरीति के द्वारा यह भी मालूम होता है कि किस समय कौन-सा काम करना चाहिए, किस काम को कैसे करना चाहिए, कौन-सा काम उचित और कौन-सा अनुचित है इत्यादि। लोकरीति एक प्रकार का प्रारूप है, जिसके आधार पर व्यक्ति समाज में आचरण करता है।

लोकरीतियों की विशेषताएं-

एक स्वीकृत विधि के रूप में- हर समाज ने अपने अनुभवों के आधार पर एक लम्बे समय में यह तय किया है कि किस अवसर पर किसी व्यक्ति के लिए कौन-सा व्यवहार सही होगा, ऐसा समाज ने अपने हितों की हिफाजत के लिए किया है। जिस सामाजिक व्यवहार को समाज स्वीकृत नहीं करता, उसे लोकरीति नहीं कहा जा सकता। लोकरीति कहे जाने के लिए यह जरूरी है कि समाज के अधिकांश लोग उसे स्वीकार करते हों।

लोकरीति एक गत्यात्मक परंपरा है: चूंकि लोकरीति का आधार परंपरागत आचार एवं व्यवहार है इसीलिए हमें यह नहीं मानना चाहिए कि वह एक स्थिर व्यवस्था है। लोकरीतियां समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती हैं। कुछ लोकरीतियां पुरानी होकर समाप्त हो जाती हैं, तो कुछ पहले से ज्यादा प्रचलित हो जाती हैं, कभी-कभी नई लोकरीतियां भी समाज में पैदा हो जाती हैं। आमतौर पर लोकरीतियों की परंपरा एकदम समाप्त नहीं होती। पुरानी लोकरीतियों के साथ नई लोकरीतियां जुड़ जाती हैं। इस तरह लोकरीति निरंतर विकसित और संग्रहीत होती रहती हैं।

एक सांस्कृतिक तत्व के रूप में: लोकरीति संस्कृति का एक प्रमुख तत्व है। हर संस्कृति में अलग-अलग प्रकार की लोकरीतियां पायी जाती हैं। लोकरीतियों के आधार पर हम एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति को अलग कर सकते हैं। यह विश्व की हर संस्कृति में पाई जाती हैं। अर्थात् लोकरीति संस्कृति का एक विश्वव्यापी तत्व है।

एक अमूर्त व्यवस्था: लोकरीति एक अमूर्त सामाजिक व्यवस्था है। इसे हम आचार-व्यवहार में देख सकते हैं, पर इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है। इसकी उत्पत्ति संपूर्ण सामाजिक चिंतनशैली एवं व्यवहार से होती है। समाज के कुछ लोगों के व्यवहार से लोकरीति नहीं बनती। जबतक समाज के तमाम लोग उसे अच्छा मानकर स्वीकार नहीं करते, तब तक कुछ व्यक्तियों के व्यवहार को लोकरीति नहीं कहा जा सकता।

सामाजिक संरक्षण: हर लोकरीति को सामाजिक संरक्षण प्राप्त होता है। चूंकि समाज अपनी लोकरीति में विश्वास रखता है इसीलिए उसका विरोध करने वालों का समाज विरोध करता है। जो लोग अपने समाज की लोकरीतियों का उल्लंघन करते हैं, उसे समाज अच्छे व्यक्ति के रूप में नहीं लेता है। कभी समाज उसकी निंदा करता है, तो कभी समाज उसे हलके फुलके ढंग से दंडित करने का भी प्रयास करता है क्योंकि लोकरीति की हिफाजत में ही समाज अपनी हिफाजत देखता है। लोकरीति के आधार पर समाज व्यक्तियों का समाजीकरण करता है।

लोकाचार

लोकाचार पर सबसे पहले अमेरिकन समाजशास्त्री समनर ने ही विचार किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक Folkways में पहली बार लोकाचार More को Folkway से अलग किया। हरेक समाज कुछ खास किस्म के नियमों से चलता है। उन्हीं नियमों में कुछ वैसे नियम भी होते हैं, जिन्हें समाज किसी को तोड़ने की इजाजत नहीं देता है। उन्हें तोड़ना समाज बिल्कुल अनैतिक मानता है। अतः इन नियमों को तोड़ने वाले को समाज दंड भी देता है। वैसे तमाम नियमों को समनर ने लोकाचार कहा है। जैसे- उत्तर भारत के हिंदू समाज में चचेरे, ममेरे एवं फुफेरे भाई-बहनों के बीच शादी-विवाह वर्जित है। जो लोग इस नियम-कानून का उल्लंघन करेंगे, समाज उन्हें बहिष्कार कर दंडित करता है। इसलिए लोग इस ढंग के लोकाचार का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं।

मैकाइवर एवं पेज ने लोकाचार के बारे में कहा है कि लोकाचार एक प्रकार का व्यक्तियों के आचरण का नियंत्रक है। लोकाचार को हमेशा समाज के द्वारा सही और नैतिक माना जाता है। चूंकि लोकाचार को समाज के तमाम व्यक्ति की स्वीकृति रहती है इसीलिए उसके टूटने से समाज में बेचैनी होती है। यदि कोई व्यक्ति समाज के प्रचलित तरीकों के खिलाफ अपने ढंग से उस पहनता है तो उसे लोकरीति का उल्लंघन माना जाएगा पर यदि कोई नंगा होकर सड़क पर घूमने का प्रयास करता है तो उसे लोकाचार का उल्लंघन कहा जाएगा।

लोकाचार की विशेषताएं

सामाजिक नियंत्रण के एक साधन के रूप में- चूंकि लोकाचार आचरण का एक प्रकार का प्रतिमान है इसीलिए समाज यह अपेक्षा रखता है कि प्रत्येक व्यक्ति उसके अनुरूप व्यवहार करे। व्यक्तियों को अपने आचरण के बारे में यह सोचने की आवश्यकता नहीं रहती है कि उसे क्या करना है या क्या नहीं करना है। वह सामाजिक दबाव के तहत सामाजिक प्रतिमान के अनुरूप व्यवहार करता है।

समूह कल्याण की भावना- प्रत्येक समाज यही मानता है कि उस समाज की भलाई इसी में है कि समाज के तमाम लोग एक लंबे समय से प्रचलित लोकाचार में विश्वास रखें।

नैतिक नियमों का समूह- लोकाचार समाज में प्रचलित नैतिक नियमों का समूह है, यह वैसे नैतिक नियमों का समूह है जिसके पीछे समाज का अधिकतम बल होता है। यही कारण है कि लोकाचार के पालन नहीं करने वाले लोगों को समाज दंडित करता है।

तार्किकता का अभाव- लोकाचार में तार्किकता का अभाव होता है। व्यक्ति को इस बात पर विचार करने की आजादी नहीं होती है कि यह नैतिक नियम सही है या गलत। समाज में चले आ रहे परंपरागत नियमों का उसे हर

परिस्थिति में पालन करना होता है। समाज में रहने के कारण व्यक्ति अपने समाज के मूल्यों को बाध्य होकर स्वीकार करता है।

एक कठोर नियम- समाज बहुत तरह के नियमों से चलता है और जो नियम सबसे कठोर माना जाता है उसे ही लोकाचार कहा जाता है। साधारण नियमों को लोकरीति की श्रेणी में रखा जाता है। किसी नियम के कठोर होने की पहचान यही है कि समाज उसका उल्लंघन करने वाले को कितना दंडित करता है।

एक सामाजिक स्वरूप- लोकाचार का स्वरूप सामाजिक होता है। यह समय के साथ स्वतः समाज में विकसित होता है। समाज में इसका विकास और संचयन धीरे-धीरे चलता रहता है। राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों को लोकाचार नहीं कहा जा सकता है। लोकाचार से कानून की उत्पत्ति तो होती है पर कानून से शायद ही लोकाचार की उत्पत्ति होती है।

लोकरीति और लोकाचार में इतना ही फर्क है कि लोकाचार का उल्लंघन करने वाले को समाज अधिक से अधिक दंड देने का प्रयास करता है। लोकरीति के साथ कोई बहुत नैतिकता की बात नहीं होती है, पर लोकाचार को पूरी तरह नैतिक माना जाता है।

यह सत्य है कि हर समाज में कुछ-न-कुछ लोकाचार अवश्य पाया जाता है, पर यह कोई जरूरी नहीं है कि जो एक जगह लोकाचार है वही दूसरी जगह पर लोकाचार हो। जैसे-मुसलमानों के बीच चचेरे, एवं फुफेरे भाई-बहनों के बीच शादी करना लोकाचार का उल्लंघन नहीं है। उत्तर भारत के हिंदुओं के बीच मामा-भगिनी के बीच विवाह लोकाचार का उल्लंघन है, जबकि दक्षिण भारत के हिंदुओं के बीच मामा-भगिनी का विवाह लोकाचार का समर्थन है। ऐसे लोकाचार बहुत कम हैं जो विश्व स्तर पर स्वीकार किए जाते हों। भाई-बहन, माँ-बेटे या पिता-पुत्री के बीच वर्जित यौन-संबंध विश्वव्यापी लोकाचार के कुछ सीमित उदाहरण हैं।

यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक लगता है कि समय के साथ लोकरीति लोकाचार बन जाती है और लोकाचार लोकरीति। लोकाचार भी एक प्रकार की लोकरीति है लेकिन यह आम किस्म की लोकरीति नहीं है। जब लोकरीति के साथ सामाजिक हित की बात जुड़ जाती है, तब उसे लोकाचार कहा जाता है। हिंदुओं के द्वारा टीका लगाना, चोटी रखना या जनेऊ पहनना एक प्रकार की लोकरीति है। चोटी न रखना या धोती की जगह पतलून पहनना या चंदन-टीका नहीं करना, यह मात्रा लोकरीति का उल्लंघन है, लेकिन दूसरी तरफ निर्वस्त्र रहना, दो विभिन्न जातियों के बीच शादी करना या किसी वैचारिक मतभेद के चलते माता-पिता के साथ गलत व्यवहार करना लोकाचार का उल्लंघन है।

प्रथाएं

प्रथा शब्द का प्रयोग ऐसी जनरीतियों के लिए होता है जो समाज में बहुत समय से प्रचलित हो। प्रथा में भी समूह-कल्याण के भाव निहित होते हैं। यही कारण है कि कई बार प्रथा एवं लोकाचार का प्रयोग पर्यायवाची के रूप में किया जाता है। प्रथा को अलिखित कानून कहा जाता है।

जब जनरीतियों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया जाता है तो वे प्रथाओं के नाम से जानी जाती हैं। प्रथाएं नवीनता की विरोधी होती हैं और ये कार्य करने के परंपरागत तरीके पर ही जोर देती हैं। प्रथा को शिथिल रूप में प्रायः लोकरीति कहा जाता है। लोकरीतियों एवं प्रथाओं के मध्य अंतर मात्रा का है।

प्रथाएं हमारे सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। वे हमारी संस्कृति को निर्धारित करती हैं। इसका संरक्षण करती है एवं इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करती हैं। उन्हें समाज के अस्तित्व के लिए नितांत आवश्यक समझा जाता है तथा इतना पवित्र माना जाता है कि उनका कोई उल्लंघन न केवल एक चुनौती अथवा अपराध अपितु ईश्वर के प्रकोप को आमंत्रित करने वाला अधार्मिक कार्य भी समझा जाता है।

प्रथा लोकतंत्रीय एवं समग्रवादी दोनों हैं। यह लोकतंत्रीय इसलिए है कि इसका निर्माण समूह द्वारा होता है तथा प्रत्येक व्यक्ति इसके विकास में योगदान देता है। यह समग्रवादी इसलिए है कि यह आत्म-अभिव्यक्ति, सार्वजनिक एवं निजी के प्रत्येक क्षेत्र को हमारे विचारों, विश्वासों एवं ढंगों को प्रभावित करती है।

प्रथा का महत्व

1. प्रथाएं सामाजिक जीवन को नियमित करती हैं।
2. प्रथा सामाजिक विरासत का भंडार हैं।
3. प्रथाएं सार्वभौमिक हैं।
4. प्रथाएं व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं।
5. प्रथा लोकतंत्रीय एवं समग्रवादी दोनों हैं।